न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 711-दो/2017 - विरूद्ध आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2017 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 20/2013-14 अपील

1- मान सिंह 2- रामदीन पुत्रगण गप्पा जाटव

3- श्रीमती सूरजवाई पुत्री गप्पा जाटव

4- सुश्री ललतिया 5- सुश्री मानो पुत्रियां मल्थुआ जाटव

6- श्रीमती रूकिया पत्नि स्व. मल्थुआ जाटव

7- राजाराम 8- थान सिंह 9- गोवर्धन पुत्रगण समरथ

10- श्रीमती झल्लो पत्नि स्व. समरथ जाटव

11- कैलाश 12- सूरज पुत्रगण चतुरा जाटव

13- सुश्री हरकुंअर पुत्री चतुरा जाटव

14- रामचरण पुत्र गणेश जाटव 15- श्यामलाल पुत्र गुमान जाटव

16- जूजा पुत्र शिवलाल जाटव 17- ननुआ पुत्र मोना जाटव

18- मथुरा पुत्र मनुका जाटव 19- बारेलाल पुत्र हलका जाटव

20- सुखलाल पुत्र बारेलाल जाटव सभी ग्राम बाकलपुर तहसील चंदेरी

21- चंपालाल पुत्र लाडलू जाटव

सभी ग्राम हाटकापुरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- शिवलाल पुत्र गजुआ जाटव

निवासी ग्राम हाटकापुरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर

2- म0प्र0शासन ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक -1 के अभि0 श्री लखन सिंह धाकड़)
(अनावेदक -2 की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 03-11 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 20/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-1-17 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक-1 ने नायव तहसीलदार चन्देरी के समक्ष आवेदन दिनांक 25-6-2010 प्रस्तुत कर बताया कि तत्का. नायव तहसीलदार चन्देरी ने प्रकरण कमांक 23 अ-19/1992-93 में पारित आदेश दिनॉक 22-4-1993 से आवेदकगण को ग्राम बारई की भूमि सर्वे कमांक 2/1 रकबा 23-545 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के पट्टे दिये गये थे , जिसे निरस्त कराने के लिये उसके द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय में प्रकरण कमांक 92 ए/2005 चला जो आदेश दिनांक 29-10-2005 से निराकृत हुआ। इस आदेश के विरूद्ध अपर जिला जज , मुंगावली के न्यायालय में अपील कमांक 11 ए/2006 दायर की गई जो आदेश दिनांक 12-10-2009 से निराकृत हुई जिसमें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के आदेश दिनांक 29-10-2005 को एंव नायव तहसीलदार चन्देरी के प्रकरण कमांक 23 अ-19/1992-93 में पारित आदेश दिनॉक 22-4-1993 को निरस्त करके भूमि सर्वे कमांक 2/1 रकबा 23-545 हैक्टर के पट्टाधारियों के भूमिस्वामी स्वत्व निरस्त किये गये है, इसलिये भूमि सर्वे कमांक 2/1 रकबा 23-545 हैक्टर को शासकीय रिकार्ड में शासन की अंकित की जावे। नायव तहसीलदार चन्देरी ने प्रकरण कमांक 29 बी 121/2009-10 पॅजीबद्व किया तथा हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु इस्तहार दिनांक 26-6-10 का प्रकाशन कराया। हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई करके आदेश दिनॉक 26-11-2010 पारित किया गया तथा माननीय व्यवहार

न्यायालय के आदेश के प्रकाश में वादग्रस्त भूमि पर नायव तहसीलदार चन्देरी के प्रकरण क्रमांक 23 अ-19/1992-93 व्दारा आवेदकगण को भूमिस्वामी घोषित करने वावत् दिये गये आदेश दिनांक 22-4-1993 को शून्य मानकर ग्राम बारई स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2/1 रकबा 23-545 हैक्टर शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये।

नायव तहसीलदार चन्देरी के आदेश दिनॉक 26-11-2010 के विरुद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने प्रकरण क्रमांक 20/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-1-2017 से अपील निरस्त की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 20/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-1-17 से अपील अस्वीकार की । अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित किये है उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि जब उभय पक्ष के बीच राजीनामा हो चुका है राजीनामे के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने एंव अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ने प्रकरण का निराकरण नहीं किया है एंव न्याय की पूर्ति नहीं की है। अनावेदक क्रमांक -1 के अभिभाषक ने मामले का निराकरण गुणदोष के आधार पर करने का निवेदन किया। मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर का तर्क है कि यह मामला आवेदकगण एंव अनावेदक क-1 के बीच राजीनामे के आधार पर निराकृत करने का नहीं है अपितु माननीय व्यवहार न्यायालय से हुये आदेशों एंव डिक्रियों के पालन हेतु है । व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन हेतु राजस्व न्यायालय बाध्य है उन्होंने नायव तहसीलदार चंदेरी व्दारा की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप न करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक कमांक 1 ने आवेदन दिनांक 25-6-2010 प्रस्तुत मांग की है कि तत्का. नायव तहसीलदार चन्देरी ने प्रकरण कमांक 23 अ-19/1992-93 में पारित आदेश दिनॉक 22-4-1993 से ग्राम बारई की भूमि सर्वे कमांक 2/1 रकबा 23-545 हैक्टर के आवेदकगण को दिये गये पटटे के भूमिस्वामी स्वत्व को निरस्त कराने के लिये व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी के न्यायालय में प्रकरण कमांक 92 ए/2005 दायर किया था जो आदेश दिनांक 29-10-2005 से निराकृत हुआ। इस आदेश के विरूद्व अपर जिला जज , मुंगावली के न्यायालय में अपील कमांक 11 ए/2006 दायर की गई जो आदेश दिनांक 12-10-2009 से निराकृत होकर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के आदेश दिनांक 29-10-2005 को एंव नायव तहसीलदार चन्देरी ने प्रकरण कमांक 23 अ-19/1992-93 में पारित आदेश दिनॉक 22-4-1993 को निरस्त करके भूमि सर्वे कमांक 2/1 रकबा 23-545 हैक्टर के पट्टाधारियों को दिये गये भूमिस्वामी स्वत्व निरस्त किये गये है, इसलिये भूमि सर्वे कमांक 2/1 रकबा 23-545 हैक्टर को शासकीय रिकार्ड में शासन की अंकित की जावे, जिस पर से नायव तहसीलदार चन्देरी ने प्रकरण कमांक 29 बी 121/2009-10 में हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई करके आदेश दिनॉक 26-11-2010 पारित किया है एंव वादग्रस्त भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने का निर्णय लिया है माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन के कारण यदि पक्षकारों के बीच राजस्व न्यायालय में किसी प्रकार का राजीनामा होता है तब माननीय व्यवहार न्यायालयों के एंव मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के कारण ऐसा राजीनामे के आधार पर राजस्व न्यायालय आदेश पारित करने हेतु अथवा राजीनामा स्वीकार करने हेतु सक्षम नहीं है।

6/ तहसील न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन पर स्थित यह है कि प्रकरण में पृष्ठ कमांक 95 से 112 पर मान. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी के व्यवहार वाद कमांक 92 ए/98 में पारित आदेश दिनांक 29-10-2005 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति संलग्न है जिसमें पारित डिक्री का पद 2 इस प्रकार है :-

" वादी व्दारा सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित बारई को प्राप्त वादग्रस्त भूमि खसरा कमांक 2/1 मिन रकबा 23-549 हैक्टर के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा , उदघोषणा एंव कब्जा प्राप्ति का यह वाद वादी के पक्ष में विधितः सिद्व न पाए जाने से अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है। "

मान. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी के आदेश दिनांक 29-10-2005 के विरूद्व मान. प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मुंगावली जिला अशोकनगर के न्यायालय में अपील दीवानी कमांक 11 ए/2006 दायर हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 12-10-2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति नायव तहसीलदार चंदेरी के प्रकरण में पृष्ठ 13 से 26 तक संलग्न है जिसका पद 26 इस प्रकार है :-

" अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर अपीलार्थी वादी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपील आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय व्दारा व्यवहार वाद क. 92 ए/98 में पारित निर्णय दि. 29-10-05 अपास्त कर निम्न आदेश दिया जाता है-

1. अपीलार्थी/वादी शिवलाल का विवादित भूमि सर्वे क. 2/21 मिन रकबा 23-549 है. स्थित ग्राम बारई के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा , कब्जा वापिस की अपील अपास्त की जाती है।
2. नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 23 ए 19/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 22-4-93 के आधार पर तथाकथित प्रतिवादीगण को उपरोक्त विवादित भूमि का भूमिस्वामी घोषित किये जाने का आदेश अवैधानिक एंव शून्य घोषित किया जाता है। "

मान. प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मुंगावली जिला अशोकनगर के न्यायालय व्दारा पारित आदेश दिनांक 12-10-2009 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में आवेदकगण व्दारा अपील कमांक 633/2009 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 26-11-2010 से अपील निरस्त हुई। परिणामतः मान. प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मुंगावली जिला अशोकनगर के न्यायालय से अपील दीवानी कमांक 11 ए/2006 में पारित आदेश दिनांक 12-10-2009 स्थिर रहा। इसी आदेश के पालन में नायव तहसीलदार चन्देरी ने प्र0क0 29 बी 121/2009-10 में पारित आदेश दिनॉक 26-11-2010 से वादग्रस्त भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज की है क्योंकि जिस सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित बारई को वादग्रस्त भूमि खसरा कमांक 2/1 मिन

रकबा 23-549 हैक्टर पटटे पर प्रदान की गई थी, यह संस्था दिनांक 20-8-1981 से परिसमापन में है जिसका अस्तित्व नहीं है फलतः वादग्रस्त भूमि माननीय अपर जिला न्यायाधीश मुंगावली जिला अशोकनगर के आदेश दिनांक 12-10-2009 के पालन में पुनः मध्य प्रदेश शासन में वेष्ठित होगी। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है जिसके कारण राजस्व न्यायालय आदेश के पालन हेतु बाध्य हैं। नायब तहसीलदार चन्देरी द्वारा पारित आदेश दिनॉक 26-11-2010, अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-1-2017 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-1-17 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 20/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-1-17 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर